कार्यकारी सार

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था आज उभरते बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका महत्वपूर्ण कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तीव्र वृद्धि है। उच्च स्पर्धा वाले वैश्विक बाजार में निर्यात वृद्धि की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए संबद्ध लागत में कमी करने की आवश्यकता है।

व्यापार सुविधा का लक्ष्य न्यूनतम लागत पर वस्तुओं की मंजूरी और सीमापार भेजना सुनिश्चित करना है। यह वैश्विक व्यापार के दौरान प्रक्रियाओं के सरलीकरण और लागत में कमी हेतु सभी गतिविधियों को दर्शाने वाला शब्द है। व्यापार प्रक्रिया के किसी भी चरण में व्यर्थ समय में कमी अंतरण लागत कम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ायेगा और सामान्यत: व्यापार में सुविधा देगा। देरी से न केवल अनुपालन लागत बढ़ती है बल्कि सीमापार प्रभावी व्यापार में पत्तनों पर भीड़-भाड़ जैसी बाधाओं को भी बढ़ाती है।

व्यापार प्रोत्साहन के उपाय के रूप में, व्यापार सुविधा को व्यापार उदारीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिये गये महत्व के कारण अभी पिछले कुछ सालों में व्यापार पर बहुआयामी चर्चा में विशेष महत्व दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में राजस्व विभाग (डीओआर) ने नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आईटी पहलों, ई-गवर्नेंस, मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी), 24x7 निकासी सुविधा, प्राधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न व्यापार सरलीकरण के लिये कदम उठाये।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य नियामक ढांचे, नीति क्रियान्वयन, संचालन मुद्दे और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का आंकलन करना था।

लेखापरीक्षा जून से सितम्बर 2014 तक की गई थी जिसमें देश भर में स्थित विभिन्न पणधारकों से प्राप्त 2010-11 से 2012-14 की अवधि के आंकडों का विश्लेषण शामिल था।

व्यापार सरलीकरण की अंतरण लागत

प्रक्रियाओं को सुव्यस्थित करके क्षमता में सुधार की अच्छी संभावना है। व्यापार बुनियादी ढाँचा क्षमता के संकेतकों में भारत के निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि सम्पूर्ण लॉजिस्टिक सूचकांक में समय के साथ सुधार हुआ है, इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। वाणिज्य विभाग की नीतिगत योजना में कमजोर सुविधाकरण के कारण ₹ 42000 करोड़ (6-7 विलियन अमेरिकी डॉलर) तक की अंतरण लागत पर प्रभाव का आकलन किया गया था।

डीओसी ने भारत में उच्च अंतरण लागत के मुद्दे से निपटने के लिए विदेश व्यापार नीतियों के अनुषंगी समितियों (2005, 2009 और 2013) और कार्यबलों का नियमित रूप से गठन किया था तथा देश के विदेश व्यापार अंतरण को प्रभावित करने वाले अंतरण लागत और समय को कम करने वाले उपायों का सुझाव दिया था।

भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को देखने और सीमापार व्यापार से जुड़ी लागतों को कम करने के प्रति ''निष्पादन योग्य'' सुधारात्मक कदमों के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2009 में 'निर्यात में अंतरण लागत' पर एक कार्यबल गठित किया गया था। समिति ने सात मंत्रालयों से संबंधित 44 सिफारिशें दी थी जिसमें से 32 सिफारिशों को मान लिया गया। 32 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों पर कार्यान्वयन की सूचना 2011 में प्रकाशित कार्यबल रिपोर्ट में दी गई है।

निर्यातकों द्वारा उठाई जा रही ऐसी परेशानियों की पहचान करने और उनकी जाँच करने तथा उनको दूर करने अथवा कम करने के लिए कार्रवाईयोग्य सिफारिशों के लिए 2013 में 'निर्यात में अंतरण लागत में कटौती' पर दूसरा कार्यबल गठित किया गया था। समिति ने नौ मंत्रालयों से संबंधित 46 सिफारिशें तथा भूमि सीमापार और अन्य विविध मुद्दों से संबंधित 7 अलग-अलग सिफारिशें दी।

संबंधित विभाग द्वारा सिफारिशों का पूर्णत: कार्यान्वयन अभी भी किया जाना था।

शासन, जोखिम तथा अनुपालन

व्यापार सुविधा उपायों के क्रियान्वयन में चूकों के विशिष्ट मामलों ने इडीआई तथा मैन्युअल परिवेश दोनों में आयात, निर्यात, मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या, आन्तरिक नियंत्रण तथा अवसंरचना आदि की प्रक्रिया पर मामले वर्णित किए हैं।

लेखापरीक्षा का मत हैं कि डीओसी/डीओआर में विभिन्न सूचना प्रणाली की समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए एक आवश्वासन संरचना को आन्तरिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, व्यापार नीतियों के प्रभाव निर्धारिण तथा सरलीकृत प्रक्रिया के सव्यंवहार विश्लेषण को सूचित किए जाने की आवश्यकता हैं।

व्यापार सरलीकरण उपायों का कार्यान्वयन

डवेल टाईम, सभी परमिट और क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद पोर्ट में माल पहुँचने के समय से माल का परिसर छोड़ने तक लिया गया समय हैं और उस सीमा तक महत्वपूर्ण सूचक है जहां तक व्यापार सरलीकरण उपाय व्यापार के लिये लाभदायक है।

2011-11 से 2013-14 के दौरान प्रभारों में से (ओओसी) दी गई बीईज़ हेतु मंजूरी के विभिन्न चरणों में असाधारण देरी की पहचान करने के लिए समयबद्ध अध्ययन किया गया था। अध्ययन में पता चला कि लिए जाने वाले समय में कमी आयी थी जो 2010-11 के दौरान 13.94 दिनों से घटकर 2013-14 के दौरान 10.95 दिन तक रह गया था। सीबीईसी द्वारा अधिक प्रभावी तरीके से व्यापार सुविधा उपाय लागू करके इसमें और सुधार किया जा सकता है। अध्ययन से आगे पता चला कि आयात में लिए गए कुल समय में से लगभग 65 प्रतिशत समय को शुल्क भुगतान और बीईज़ की फाइलिंग में जिम्मेदार माना गया था जबकि ईजीएम की निर्यात फाइलिंग में लिया गया समय लगभग 90 प्रतिशत था।

पत्तन प्राधिकारों द्वारा वर्ष के आबंटन में, पत्तनों पर आयातकों द्वारा वस्तुओं की मंजूरी में, आयात सामान्य घोषणाओं (आईजीएम) में त्रुटियों के सुधार में, आयातकों द्वारा बीईज़ दाखिल करने में, आईसगेट के माध्यम से बीईज़ की फाइलिंग की गैरअनिवार्यता, सीमाशुल्क भवनों में लाइसेंस के हस्तगत

पंजीकरण और विभाग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में, अन्य एजेंसियों द्वारा जाँच, शुल्क/प्रतिदाय और अथवा फिरती के भुगतान, निर्यात सामान्य घोषणाओं (ईजीएम) की फाइलिंग एवं त्रुटियों के सुधार में विलम्ब देखा गया।

विभाग ने कुछ उपाय किए हैं; जैसे-बीईज़/एसबीज़ दाखिल करने हेतु आईसगेट सुविधा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के माध्यम से सुविधा, फैक्टरी परिसर में निर्यात वस्तुओं के जाँच की सुविधा, स्थायी व्यापार सुविधा समिति का गठन, 24x7 सीमाशुल्क मंजूरी प्रक्रिया, एसीपी, एईओ कार्यक्रम, ओएसपीसीए और अग्रिम अभिशासन तंत्र/हालांकि यह देखा गया कि इन्हे अभी भी प्रभाव में लाया जाना है।

बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसे- सीमाशुल्क द्वारा आयात वस्तुओं की जाँच, पत्तन से सड़क तक संपर्क मार्ग, आईसीडीज़ तक कंटेनर ले जाने के लिए रेल व्यवस्था, डागिंग चेक पोस्ट के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर समपार-लदान टर्मिनल पर फीडर नेटवर्क सुविधा का अभाव, सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टॉम्प-शुल्क की उगाही, कंटेनर ढुलाई स्टेशनों (सीएफसीज़) की संपर्क समस्यायें, ईडीआई समस्यायें, कंटेनरों का पुनर्निर्यात, भारतीय समपार लदान पत्तनों हेतु संरक्षण और बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु हितधारकों के बीच समंवय का अभाव भी विभाग द्वारा शुरू की गई व्यापार सुविधाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

निष्कर्ष

दिसम्बर 2013 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बाली मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस में भारत सहित सदस्य देशों द्वारा व्यापार सुविधा की वर्धित चलन पर करार किया गया। इसमें भारत को सीमाशुल्क सुविधा देने और अन्य सीमापार प्रक्रियाओं पर प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता थी जो कि सदस्यों को सूचना की उपलब्धता और प्रकाशन, एक अग्रिम अभिशासन तंत्र प्रदान करना, अपील/और/या समीक्षा तंत्र, शुल्क के अलावा शुल्क एवं प्रभारों का विनियमन, वस्तुओं की तीव्र निकासी एवं मंजूरी, सदस्यों के बीच सीमा एजेंसी सहयोग, आयात निर्यात और पारगमन औपचारिकताओं की घटना और जटिलता को कम करना और दस्तावेज आवश्यकताओं को कम करना तथा उन्हें सरल बनाना शामिल है।

इस पीए का मुख्य ध्यान आयात/निर्यात कार्गों की मंजूरी वाले सुविधाओं से संबंधित पत्तन और अंतरण लागत में कटौती में मुख्य बिन्दु की पहचान करना था जिसमें यह देखा गया कि आयात मंजूरी में प्रक्रियागत जटिलताओं और फलस्वरूप देरी निर्यात मंजूरी के मामले की अपेक्षा अधिक थी।

अपूर्ण सुविधा प्रक्रिया बनाने, कमजोर लक्ष्य तय करने, अंतरण लागत पर कार्यबलों और समितियों की सिफारिशोंके कार्यान्वयन की अपर्याप्त निगरानी को परिकल्पित लाभ की उपलब्धि में शामिल किया गया है।

सिफारिशें

1. *विभाग त्रुटिमुक्त बीईज़ दाखिल करने, समय की देरी कम करने, बीई में छोटी त्रुटियों में ऑनलाईन सुधार अनुमत करने, शार्ट लैंडिंग के कारण अदा शुल्क के समायोजन के लिए आयातकों तहत पहुँच पर विचार करे।*
2. *विभाग ईजीएम ऑनलाईन में छोटे संशोधनों की अनुमति की संभावना खोजे और आईसीडीज़ के सेवा-केंद्रों द्वारा ईजीएम की अपलोडिंग की लगातार मॉनीटरिंग करे।*
3. *विभाग निर्यातकों द्वारा फैक्टरी परिसरों में जाँच की सुविधा के गैर-उपयोग के कारणों की जाँच करे और इसे दूर करे।*
4. *विभाग मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के प्रमाणपत्र की स्वीकार्यता, कंटेनरों की स्टेकिंग हेतु सीएफएस को अग्रिम में सभी आरएमएस बिल प्रस्तुत करने की प्रणाली शुरू करने, जीएसएस प्रणाली के साथ सीमाशुल्क प्रणाली के समेकन आदि को अन्य एजेंसियों के साथ अंतर्संबंधों को मजबूत करने पर विचार करे।*

सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का निष्पादन